सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 7(2)(2)राछा./सान्याअवि/2019/ 30170 जयपुर, दिनांकः 15/05/19

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरंभ

1.**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रवेश के लिए **दिनांक 20.05.2019** से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा–निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट **http://sje.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

2.आवेदन प्रक्रियाः–

1.विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र **sso.rajasthan.gov.in** के माध्यम से **(SJMS.Rajasthan.gov.in)** आमंत्रित किये जायेंगे।

2.छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदित नवीन विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु ई–मित्र, कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट आदि के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

3.एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा।

3.प्रवेश हेतु पात्रताः–

1.राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

2.आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत् छात्र–छात्रा को प्रवेश देय है।

2.छात्र–छात्रा का चरित्र प्रमाण–पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।

3.छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र–छात्रा को दी जायेगी।

4.प्रवेश हेतु गत कक्षा में 50 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगें।

5.छात्र–छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो।

4.प्रवेश हेतु वरीयता :–विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरीयता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 07.05.2015 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट **http:// sje. rajasthan.gov.in देखा जा सकेगा।**

5.प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज–ई.मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण–पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण–पत्र, बीपीएल प्रमाण–पत्र (केवल बीपीएल के लिये), निःशक्तता प्रमाण–पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये), आय प्रमाण–पत्र (गैर बीपीएल हेतु), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र (विधवा आवेदकों के लिये), राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण–पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालको के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण–पत्र (केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये)।

- उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
- स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑन लाईन करनी होगी।
- फाईल का आकार 200 के.बी. से कम होना चाहिये।
- पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों की गत परीक्षा की अंकतालिका **sso.rajasthan.gov.in** पोर्टल पर छात्रावास अधीक्षकों द्वारा अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को सत्र 2019–20 के लिये पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नवीन छात्रावासो मे नये शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नये तथा पूर्व से प्रवेशित छात्रो के लिए छत्रावास में प्रवेश के नियम पूर्व वर्ष की भांति निंधारित है।

6.प्रवेश हेतु नियत समयावधिः–प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन 20 मई, 2019 से ऑनलाईन पोर्टल पर आरंभ किया जावेगा तथा प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18 जून, 2019 तक विद्यालय स्तरीय एवं 30 जून, 2019 तक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों के लिये पोर्टल खुला रहेगा। प्रवेश के आवेदन करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर विभाग के संयुक्त निदेशक (एनालिस्ट सिस्टम), मुख्यावास के **दूरभाष नम्बर 0141–2226654 एवं सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास के मोबाईल नं. 8955267314 व दूरभाष नम्बर 0141–2226611** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सांवर मल वर्मा) 15/5/19

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव